आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना व क्रमांक व दिनांक
8/3/22	पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उपस्थित। पत्रावली उपस्थित तथा गवाह उपस्थित। एक दफा आदेश पर बहस की गई। पत्रावली आदेश हेतु रिजर्व [illegible] को पेश हो। [illegible]	श्रीमानजी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अनुतोष देय नहीं है। प्रार्थी अपने पिता का नाम बदलवाना चाहता है उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 पोषणीय नहीं है। प्रार्थी काश्तकारी अधिनियम व LR Act की निर्धारित धाराओं में दावा बाबत खातेदारी अधिकारी घोषवाने सक्षम न्यायालय में पेश करे अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना उचित है। [illegible] 08/3/22
9.3.22	पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम बीजाराम के बजाय दयालाराम दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। प्रार्थी ने आदेशिका में अंकित जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अनुतोष देय नहीं है। प्रार्थी अपने पिता का नाम बदलवाना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 पोषणीय नहीं है। प्रार्थी काश्तकारी अधिनियम व LR Act की निर्धारित धाराओं में दावा बाबत खातेदारी अधिकारी घोषवाने सक्षम न्यायालय में पेश का अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित है। उक्त विवेचना से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जायज नहीं होने से खारिज किया जाना उचित है। **आदेश** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जायज नहीं होने से खारिज किया जाता है। 9/3/22	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:25:21 IST
Reason: SelfAttested